रजिस्ट्री सं डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2008 (अग्रहायण 22, 1930)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2008 (AGRAHAYANA 22, 1930)

157/08- Bill No. 162/20-1-09
94/08- Bill No. 163/21-1-09
243/08- Bill No. 164/21-1-09
133/08- Bill No 165/21-1-09
275A/08 Bill No 167/22-1

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

157/08

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2008

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.24/सीएमडी/2008--राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और संतुष्ट होकर कि देश की आवास वित्त प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 की मद (घ)(i) के अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (3) के नीचे निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(i) वाणिज्यिक सम्पदा में कोष आधारित और गैर-कोष आधारित निवेश (कार्यालय भवन, फुटकर स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि)"	100

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निर्देश सं. एनएचबी. एचएफसी. निर्देश.25/सीएमडी/2008--राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धाराओं 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार पुन: संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

अनुच्छेद 26 में, व्याख्या (1) में--

मद (ख) (i) और (ii) की उप-व्याख्या (3) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ख) (i) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. तक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात = या < 75% है।	50
(ख) (ii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर 30 लाख रु. से अधिक संस्वीकृत आवास ऋण, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात = या < 75% है।	75
(ख) (iii) व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति बंधक रखने पर संस्वीकृत आवास ऋण, राशि कुछ भी हो, जिन्हें मानक आस्ति वर्गीकृत किया गया है जबकि एलटीवी अनुपात > 75% है।	100

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK
HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

New Delhi, the 2nd December 2008

Directions No. NHB.HFC.DIR.24/CMD/2008—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that,for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further emended in the following manner, namely :—

In paragraph 26,under explanation (3), of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 for item (d)(i), the following shall be substituted, viz.

"(i) Fund based and non-fund based exposures to commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.)."	100

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

Directions No. NHB.HFC.DIR.25/CMD/2008—The National Housing Bank being satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further emended in the following manner, namely :—

In paragraph 26, in explanation (1),

In Sub-Explanation (3), for item b (i) and b (ii), the following shall be substituted, namely :—

(b)(i) Housing loans sanctioned to individuals upto Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or <75%	50
(b)(ii) Housing loans sanctioned to individuals above Rs. 30 lakhs secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is = or <75%	75
(b)(iii) Housing loans sanctioned to individuals, irrespective of the amount, secured by mortgage of immovable property, which are classified as standard assets where LTV Ratio is > 75%	100

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director